

xvi) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है।

xvii) सभी वांछित प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. **चयन के लिए परीक्षा संरचना** - जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन/ भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे:

(क) **प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा'** - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/ बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

(iii) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगी। ओ0एम0आर शीट/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।

(v) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vi) लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।

(ख) **द्वितीय चरण - शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)** -

(i) लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

(iii) शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/ मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(v) सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग-अलग सफल होना आवश्यक होगा।

(vi) **शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।** ऊँचाई एवं सीना/ वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा परन्तु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(vii) **शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएँ होंगी :**

(I) **दौड़ - अधिकतम 50 (पचास) अंक।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	-	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	-	20 अंक
6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।		

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 (एक) कि०मी० [अधिकतम 5 मिनट में]

4 मिनट से कम	-	50 अंक
4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक	-	40 अंक
4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक	-	30 अंक
4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक	-	20 अंक
5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।		

(II) **गोला फेंक - अधिकतम 25 (पच्चीस) अंक।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक	-	09 अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	-	13 अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	-	17 अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	-	21 अंक
20 फीट से ज्यादा	-	25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना होगा।

12 फीट से 13 फीट तक	-	09 अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	-	13 अंक
14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक	-	17 अंक
15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक	-	21 अंक
16 फीट से ज्यादा	-	25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(III) **ऊँची कूद - अधिकतम 25 (पच्चीस) अंक।**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट	-	13 अंक
04 फीट 4 ईन्च	-	17 अंक

04 फीट 8 ईन्च	-	21 अंक
05 फीट	-	25 अंक

04 फीट न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट	-	13 अंक
03 फीट 4 ईन्च	-	17 अंक
03 फीट 8 ईन्च	-	21 अंक
04 फीट	-	25 अंक

03 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(IV) नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/ अथवा ऊँची कूद स्पर्धा/ स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(ग) तृतीय चरण - दस्तावेज सत्यापन :

- (i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा।
- (ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भांति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय **शैक्षणिक अर्हता एवं आरक्षण** से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि/ कट-ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।
- (iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:
 - i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
 - ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।
 - iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
 - iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
 - v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए -
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
 - vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं

- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
 - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए -
- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण-पत्र (**स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा**); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए -
- सक्षम प्राधिकार द्वारा **वित्तीय वर्ष 2023-2024** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- ix. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए -
- सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने सम्बन्धी पहचान प्रमाण-पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19.06.2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रपत्र-3 अथवा प्रपत्र-4 में निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- x. गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए -
- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, आनंदपुर, बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र; एवं
 - होम गार्ड का वैध आई कार्ड; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- xi. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

6. मेधा सूची-

- i) लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिये अर्हक (Qualifying) होगी।
- ii) सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की **मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा - दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।**
- iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि

वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

(iv) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(v) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सेवा का आवंटन उनके द्वारा आवेदन-पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. नियुक्ति प्राधिकार - बिहार पुलिस में जिला/ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी में सिपाही पद के नियुक्ति प्राधिकार जिला पुलिस अधीक्षक/ वाहिनी समादेशक/ पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी हैं।

8. चिकित्सीय परीक्षण - नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

9. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान - नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/ अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

10. आवेदन शुल्क - अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य निम्नांकित है :

क्र सं०	श्रेणी	आवेदन-पत्र का मूल्य
1	(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी; (ii) राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/ कोटि की महिला अभ्यर्थियों; एवं (iii) ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 180/- (एक सौ अस्सी)
2	शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 675/- (छः सौ पचहत्तर)

नोट -

1. अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
2. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/ बिहार राज्य के मूल निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण एवं बिहार राज्य के मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है।

11. कट-ऑफ तिथियाँ (Cut-off Dates) - इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट-ऑफ तिथियाँ निम्न अनुसार रहेंगी:

i) उम्र सीमा के लिए -

(क) न्यूनतम उम्र के लिए - दिनांक 01.08.2025;